दिल्ली विधान सभा

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

विधायक निधि समय पर जारी करने संबंधी प्रक्रिया के सरलीकरण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

Report of the Committee on Simplification of Procedure for Timely Release of MLAs' Fund

24 सितम्बर, 1998 को प्रस्तुत ।

Presented on 24 September, 1998

विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय
दिल्ली-110054

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARAT
OLD SECRETARIAT, DELHI

विषय-सूची

1.	समिति का गठन	- 1
2.	प्रस्तावना	- 2-3
3.	प्रतिवेदन	- 4- 7
4.	सिफारिशें	- 7- 8

समिति द्वारा 16 सितम्बर, 1998 को इस प्रतिवेदन पर विचार किया गया और इसके पारित किया गया । समिति ने श्री नन्द किशोर गर्ग को इस प्रतिवेदन को अपनी ओर से प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

समिति ने माननीय अध्यक्ष के प्रति समय-समय पर दी गई उनकी सलाह, समर्थन और सहायता के लिये आभार व्यक्त किया ।

समिति सचिव और विधान सभा के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की उनके द्वारा इस प्रतिवेदन को तैयार करने और अंतिम रूप देने में दी गई महत्वपूर्ण सहायता और योगदान के लिये हार्दिक प्रशंसा करती है ।

16.9.98

(नन्द किशोर गर्ग)

समापति

समय पर विधायक निधि जारी करने संबंधी प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु उपाय सुझाने संबंधी समिति

दिल्ली,

16 सितम्बर, 1998

समिति का गठन

26 मार्च, 1998 को शहरी विकास विभाग द्वारा दि0न0नि0 को विधायक निधि से अनुदान नहीं जारी किए जाने से संबंधित प्रश्न संख्या-42 के ऊपर पूरक प्रश्नों को पूछते समय, सदन में सभी दलों के विधायकों ने विधायक निधि से समय पर अपनी निधि जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया था । पूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय माननीय मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि इस समस्या से जुड़े सभी पहलुओं की जाँच करने के सिलसिले में यदि माननीय अध्यक्ष महोदय विधायक निधि के समय पर जारी होने की प्रक्रिया और उससे संबंधित अन्य पहलुओं के सरलीकरण हेतु उपाय सुझाने के लिए एक तीन सदस्यीय सदन की समिति2 गठित करें तो वह अधिक उचित होगा । इस सुझाव का सभी सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया और तत्पश्चात् सदन ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित संकल्प पारित किया :

"माननीय अध्यक्ष समय पर विधायक निधि जारी करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने एवे इससे संबंधित पहलुओं पर सुझाव देने हेतु सदन की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगे ।"

औपचारिक रूप से माननीय अध्यक्ष द्वारा समिति का गठन श्री नन्द किशोर गर्ग के सभापतित्व में 28 मार्च,1998 को किया गया जिसके श्री राजेश शर्मा और अजय माकन सदस्य थे ।

समिति की पहली बैठक (29 जून,1998)

समिति की पहली बैठक 29 जून,1998 को संपन्न हुई जिसमें योजना, शहरी विकास और वित्त विभाग के प्रधान सचिवों तथा आयुक्त, दि0न0नि0 को इस मुद्दे पर समिति को जानकारी देने के लिए बुलाया गया था । प्रधान सचिव, शहरी विकास ने समिति को जानकारी दी कि प्रत्येक तीन महीने के बाद विधायक निधि चार किश्तों में जारी की जाती है । इस उद्देश्य के लिए दि0न0नि0 और नई दिल्ली नगर पालिका से प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं, जो विधायकों से व्यक्तिगत रूप से इन संगठनों द्वारा प्राप्त की गई उन कार्यों की जानकारी पर आधारित होते हैं जिसके बारे में विधायक उन्हें सूचित करते हैं ।

जब समिति ने चिन्ता व्यक्त की कि दि0वि0 बोर्ड इस वर्ष के आधार पर समय पर काम नहीं करता कि उन्हें उद्देश्य-पूर्ति हेतु दि0न0नि0 से धन प्राप्त नहीं हुआ, प्रधान सचिव (शहरी विकास) ने सूचित किया कि इस प्रक्रिया को अब सरल बना दिया गया है, विभाग ने अब दि0वि0 बोर्ड को 7 करोड़ रुपए की अग्रिम धन राशि (10 लाख रुपए प्रति विधायक) देने का प्रस्ताव किया है ताकि कार्य में रुकावट न पैदा हो ।

समिति ने दि0न0नि0 से अगली बैठक में निम्नलिखित दो विवरणों को प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की ।

(i) गत चार वर्षों से 31 मार्च, 1998 तक विधायक निधि से कराए गए कार्यों/ व्यय किए गए धन को दर्शाते हुए निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण ।

(ii) गत चार वर्षों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को कराने हेतु विधायक निधि से दि0न0नि0 द्वारा दि0वि0 बोर्ड को भुगतान की गई धन राशि को दर्शाते हुए निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण ।

दूसरी बैठक(6 जुलाई,1998)

6 जुलाई,1998 को सम्पन्न दूसरी बैठक में समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिये :-

(i) कि विधायक निधि की तीसरी किश्त सितम्बर,1998 में तथा चौथी किश्त नवम्बर,1998 तक जारी कर दी जाए,

(ii) कि 3·5 करोड़ रुपये की धनराशि दिल्ली जल बोर्ड को देने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके बजाय इस धन राशि का उपयोग विधायकों के अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाए ।

तीसरी बैठक

समिति ने दि0न0नि0 को निम्नलिखित दो पहलुओं पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया :

(i) वर्ष 1998 हेतु विधायक निधि की तीसरी किश्त की माँग दि0न0नि0 द्वारा तत्काल की जाए ।

(ii) 8·5 करोड़ की धन राशि जो व्यय नहीं हुई है और वापस कर दी गई है, उसकी माँग दिल्ली सरकार से की जाए ।

(iii) विकास कार्यों को तेज़ी से पूरा किया जाए ।

प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से समिति ने निदेश दिया कि :-

(i) वर्ष 1998-99 हेतु पथ-प्रकाश आदि के सुधार के लिए संपूर्ण धन राशि शहरी विकास विभाग द्वारा सीधे दि0वि0 बोर्ड के अधिकार में रखी जाए ।

(ii) सदस्य वित्त, दि0वि0 बोर्ड को प्रत्येक विधायक से उनसे संबंधित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में दि0वि0 बोर्ड के मुख्य ज़िला कार्यकारी अभियन्ता का उल्लेख

करने हेतु अनुरोध पत्र लिखना चाहिये ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सुधार का कार्य किया जा सके । विधायक को बजट प्रावधान के भीतर अपनी जरूरत के बारे में नोडल डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर को सीधे बताना चाहिये ।

चौथी और पांचवीं बैठक

बैठकें स्थगित हो गई ।

छठी बैठक (7 अगस्त, 1998)

निम्नलिखित निर्णय लिये गये/निर्देश जारी किये गये :-

(i) विधायक निधि के अंतर्गत 21 अक्टूबर, 1998 तक प्रत्येक विधायक हेतु कुल 4 करोड़ 70 लाख रुपये की धनराशि जारी की जानी चाहिये ।

(ii) विकास कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिये ।

(iii) जनता की जानकारी और सुविधा के लिये विधायक निधि से पूरी की गई सभी परियोजनाओं के स्थलों पर संकेतक/प्ले कार्ड प्रदर्शित किए जाएं ।

(iv) सड़कों और मार्गों की डेंस कारपेटिंग तेजी से पूरी की जाए ।

(v) विधायक निधि के अंतर्गत अपने-अपने लेखे (एकाउंट्स) का दिल्ली विद्युत बोर्ड और दिल्ली नगर निगम शीघ्रातिशीघ्र समायोजन कर लेना चाहिये । सांसद/विधायक या पार्षद् निधियों के माध्यम से कराये गये सभी कार्यों का कम्प्यूटरीकरण होना चाहिये ।

7वीं और आठवीं बैठक

समिति ने पूर्व बैठकों में जारी किए गए अपने आदेशों और निर्देशों के क्रियान्वयन पर पुनर्विचार किया और निधियों को जारी करने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कुछ सुझाव दिए ।

नौवीं बैठक (7 सितंबर, 1998)

समिति ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए :

(i) प्रधान सचिव, शहरी विकास प्रत्येक विधायक को विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से उसके द्वारा कराए जाने वाले कार्यों का पूर्व अनुमान प्रेषित करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखें ।

(ii) विधान सभा के पहले वर्ष 8.5 करोड़ रुपये की जो धनराशि व्यय न होने के कारण वापस कर दी गई थी, उसमें से 4 करोड़ रुपये की धनराशि बिजली के कार्यों के लिये दिल्ली विद्युत बोर्ड को प्रदान की जाए तथा शेष 4.5 करोड़ रुपये दिल्ली नगर निगम को दे दिये जाएं ।

(iii) दिल्ली नगर निगम को विधायकों द्वारा कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु तत्काल पर्याप्त मात्रा में सीमेंट जारी की जानी चाहिये ।

समिति की सिफारिशें

विभिन्न सुझावों और उचित विचार-विमर्श पर विचार करने के बाद समिति महसूस करती है कि वर्तमान व्यवस्था 1989-99 के वित्तीय वर्ष हेतु जारी रह सकती है । तथापि, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से और उससे आगे निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार किया जा सकता है :-

(i) प्रधान सचिव कार्यालय (शहरी विकास) को प्रत्येक विधायक को उनसे यह जानने के आशय का पत्र लिखना चाहिये कि वह अपनी निधि से कितनी धनराशि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत बोर्ड और दिल्ली जल बोर्ड आदि के अधिकार में रखना चाहेंगे ।

(ii) विधायक की सिफारिशों के आधार पर प्रधान सचिव (शहरी विकास) को दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत बोर्ड तथा दिल्ली जल बोर्ड को तिमाही आधार पर निधि का आबंटन करना चाहिये ।

(iii) मुख्य अभियन्ता, दिल्ली नगर निगम, वित्त सदस्य, दिल्ली विद्युत बोर्ड और वित्त सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड को विधायक निधि को जारी करने में, उसके उपयोग आदि में तालमेल करने हेतु नोडल अधिकारियों के रूप में कार्य करना चाहिये।

किसी विशेष कार्य के लिये विधायक का अनुरोध नोडल जोनल इंजीनियर अपने विभाग के सम्बद्ध नोडल अधिकारी को सीधे, वरीयतः फैक्स द्वारा भेज देगा । संबंधित अधिकारी कार्य का सत्यापन करेगा और अपने कागजात में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा तथा जोनल इंजीनियर को कार्य कराने के लिये 3 दिनों के भीतर कह देगा ।

(iv) विधायक, निगम पार्षदों और सांसदों के सभी कार्यों का कम्प्यूटरीकरण होना चाहिये। प्रत्येक विधायक को नोडल अधिकारी द्वारा जारी की गई धनराशि उपयोग में लाई गई धनराशि और वास्तविक तथा वित्तीय अर्थों में जो कार्य किया गया हो उसे दर्शाते हुए एक तिमाही विवरण जारी किया जाना चाहिये ।

(v) सीमेंट और स्टील की कमी पर काबू पाने या सीमेंट और स्टील को जारी करने में उत्पन्न रुकावट को दूर करने के लिये विधायक निधि से ठेके पर दिये जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिये । ठेकेदार को सीमेंट और स्टील स्वयं जुटाना चाहिये ताकि काम में विलम्ब न हो । तथापि, कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण/प्रवेक्षण अभियांत्रिकी विभाग (इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट) द्वारा किया जाये।

(नन्द किशोर गर्ग)
समापति
समय पर विधायक निधि जारी करने संबंधी
प्रक्रिया के सरलीकरण करने संबंधी समिति

दिल्ली,
दिनांक : 16 सितम्बर, 1998

CONTENTS

1.	Composition of the Committee	-	1
2.	Introduction	-	2-3
3.	Report	-	4-8
4.	Recommendations	-	8-9

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

Shri Nand Kishore Garg	Chairman
Shri Rajesh Sharma	Member
Shri Ajay Maken	Member

Assembly Secretariat

Shri P.N. Gupta	Secretary
Shri S.K. Sharma	Spl. Secretary
Shri K.L. Kohli	Committee Officer

INTRODUCTION

I, Nand Kishore Garg, Chairman of the Committee to Suggest Ways and Means for Simplification of Procedure for Timely Release of MLAs' Funds, having been authorised by the Committee to present this Report on their behalf, do present this Report.

The Committee was constituted on 26th March, 1998 and it held Ten sittings in all.

With a view to going into the various aspects relating to timely release of MLAs' Funds and related aspects, the Committee summoned the officials of various departments and agencies concerned with the release and utilisation of Funds and execution of various works out of this Fund. The officials summoned to appear before the Committee included Principal Secretaries of Urban Development, Planning and Finance Departments and Commissioner, MCD and Chairman, Delhi Vidyut Board.

In order to keep all the MLAs apprised of the moneys spent from out of their Fund during the last four years and the money paid to DVB out of their Funds, the Committee procured from the MCD the following two statements, copies of which were mailed to the members :

(i) A constitutencywise statement showing the works executed/money spent from MLAs' Funds during the last four years upto 31st March, 1998.

(ii) A constituencywise statement of money paid to DVB by the MCD from MLA Fund during the four years for executing various kinds of works.

This Report is based on the information and material furnished to the Committee during its various meetings or in reply to queries and questions posed by the members of the Committee.

The Report was considered and adopted by the Committee at its meeting held on 16th September, 1998. The Committee authorised Shri Nand Kishore Garg to present the Report on their behalf.

The Committee expresses its gratitude to Hon'ble Speaker for his advice, support and help, whenever needed.

The Committee is pleased to place on record the valuable services rendered by the Secretary and other officers of the Assembly Secretariat and staff for helping and rendering necessary assistance in preparing and finalising this Report.

16.9.1998

PLACE : DELHI
DATE : 16, September, 1998

(NAND KISHORE GARG)
CHAIRMAN,
Committee to Suggest Ways & Means
for Timely Release of MLAs' Funds

CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

On 26th March, 1998 while replying to Supplementaries on Question No. 42 regarding non-release of grants from M.L.A. Fund by the Urban Development Department to the MCD, members cutting across partylines, expressed the need for timely release of their MLAs Funds. Replying to supplementaries, Hon'ble Chief Minister suggested that in order to go into the entire gamut of the problem, it would be appropriate if Hon'ble Speaker may constitute a 3-Member Committee of the House to suggest ways and means for simplification of procedure for timely release of MLA Funds and related aspects. The suggestion was supported by all the members and the House thereafter unanimously passed the following Resolution :

> "That Hon'ble Speaker may constitute a Committee consisting of three members of the House to Suggest Ways & Means for Simplification of Procedure for Timely Release of MLA Funds and Related Aspects."

The Committee was formally constituted by the Hon'ble Speaker on May 28, 1998 with Shri Nand Kishore Garg as the Chairman and Shri Rajesh Sharma and Shri Ajay Maken as members.

First Meeting of the Committee (29 June 1998)

The first meeting of the Committee was held on 29th June, 1998 when Principal Secretaries of Planning, Urban Development and Finance Departments and Commissioner, MCD were summoned for purposes of briefing the Committee on the issue. The Principal Secretary, Urban Development informed that MLAs Funds are released in 4 instalments, each after every three months. The proposal for this purpose

is received from MCD and NDMC on the basis of information received by these organisations from individual MLAs who inform them about the work likely to be undertaken by them.

When the Committee expressed concern that DVB does not execute the work in time on the plea that they have not received money for the purpose from MCD, Principal Secretary (UD) informed that this procedure has now been simplified. The department now proposes to give in advance an amount of Rs. 7 crore (Rs. 10 lakh per MLA) to the DVB so that works do not get held up.

The Committee desired to be furnished in the next meeting the following two statements by the MCD :

(i) Statement showing the constituencywise works executed/money spent from MLAs Fund during the last four years upto 31st March, 1998.

(ii) Statement of money paid, constituencywise, to DVB during the last four years for executing various kinds of works.

2nd Meeting (6 July, 1998)

In the 2nd meeting held on 6th July, 1998, the Commitee took the following decisions :

(i) That the third instalment of MLA Fund be released in the month of September, 1998 and the 4th instalment, by November, 1998.

(ii) That an amount of Rs. 3.5 crore need not be earmarked to Delhi Jal Board and instead this money may be utilised in executing other works of MLAs.

Third Meeting

The Committee directed the MCD to take action on the following aspects :

(i) The third instalment of MLA Fund for the year 1998 be immediately asked for by the MCD.

(ii) The demand for the unspent money of Rs. 8.5 crores which was surrendered, be made from the Delhi Government.

(iii) Execution of development works be speeded up.

With a view to simplify the procedure, the Committee directed that -

(i) The total amount for improvement in street lights etc. be placed at the disposal of DVB directly by the Urban Development Department for the year 1998-99.

(ii) Member Finance, DVB should write to each MLA requesting them to specify the nodal district Executive Engineer of DVB for execution of improvement works in each constituency. The MLA should give his requirement within the budget provision directly to the nodal district Executive Engineer.

Fourth and Fifth Meetings

The meetings were adjourned.

6th Meeting (7 August, 1998)

The following decisions were taken/directions issued :-

(i) A total sum of Rs. 4 crores and seventy lakhs should be released for each MLA under the MLAs' Fund by 31st October, 1998.

(ii) The development works should be speeded up.

(iii) An indicator/placard be displayed at some conspicuous places on all projects funded/ executed from MLA Funds for the information and convenience of the public.

(iv) Dense carpetting of roads and streets be expedited.

(v) DVB and MCD should reconcile their accounts under the MLAs Funds at the earliest.

(vi) There should be computerisation of entire works executed through MP/MLA or Councillors' Funds.

7th & 8th Meetings

The Committee reviewed the implementation of its orders and directions issued in previous meetings and made certain suggestions for simplification of procedure relating to release of funds.

9th Meeting (7 September, 1998)

The Committee issued the following directions :

(i) Principal Secretary (UD) may write to each MLA requesting him to give his estimation of the works to be executed by him through various agencies.

(ii) Out of Rs. 8.5 crores which had remained unspent in the first year of the Assembly and were surrendered, a sum of Rs. 4 crores

be given to DVB for electricity works and the remaining Rs. 4.5 crores may go to the MCD.

(iii) MCD should immediately release sufficient quantity of cement for various works to be undertaken by the MLAs.

RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE

The Committee after taking into consideration various suggestions and due deliberations, feels that the existing system may continue for the financial year 1998-99. However, from the financial year 1999-2000 onwards, the following recommendations may be adopted:

(1) The Office of the Principal Secretary (Urban Development) should issue a letter to each MLA enquiring from him as to how much money out of his fund he would like to be placed at the disposal of MCD, Delhi Vidyut Board, Delhi Jal Board etc.

(2) Based on the recommendations of the MLA, the Principal Secretary (Urban Development) should allocate the funds to the MCD, Delhi Vidyut Board, Delhi Jal Board etc. on quarterly basis.

(3) The Engineer-in-Chief of MCD, Finance Member of the Delhi Vidyut Board and Finance Member of Delhi Jal Board should act as Nodal Officers to coordinate the release, utilisation etc. of the MLA Fund.

The Nodal Zonal Engineer will pass on the request of MLA for particular work to the concerned Nodal Officer of his Department directly, preferably by fax. The concerned officer will verify and have necessary entries made in the records and signal the Zonal Engineer within three days to go ahead with the work.

(4) The entire works of MLA/Municipal Councillors and MPs should be computerised. Each MLA should be issued a quarterly statement by the Nodal Officer indicating the amount released by each MLA, amount utilised and works executed, both in physical and fiscal terms.

(5) To overcome the shortage of cement and steel or to remove the bottlenecks in issue of cement and steel the works awarded from MLAs fund should be on turn-key basis. The contractor should himself procure cement and steel so that the works are not delayed. The quality of work, however will be supervised by the Engineering Department.

PLACE : DELHI
DATE : 16, September, 1998.

(NAND KISHORE GARG)
CHAIRMAN,
Committee to Suggest Ways & Means
for Timely Release of MLAs' Funds